

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में  
दिवाकर मिश्रा

बनाम

बिहार राज्य

2022 की आपराधिक विविध वाद सं. 72298

02 मई 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेन्द्र सिंह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या याचिकाकर्ता भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी सहपठित धारा 34 के अंतर्गत दर्ज अपराध के संबंध में नियमित जमानत का हकदार है?

हेडनोट्स

भारतीय दंड संहिता - धारा 304 बी, 306 - नियमित जमानत के लिए याचिका - याचिकाकर्ता पर आरोप है कि उसने दहेज की मांग को लेकर अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया और उसकी हत्या कर दी और उसके बाद पीड़िता की मौत को आत्महत्या का रूप देने के लिए उसके शव को पंखे से लटका दिया।

निर्णय: वर्तमान मामले में, पीड़ित का सुसाइड नोट उपलब्ध है जिसके संबंध में कोई विवाद नहीं है - ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि सुसाइड नोट में आरोपित याचिकाकर्ता के कृत्य सीधे तौर पर पीड़ित को आत्महत्या के लिए उकसाने या उकसाने के लिए जिम्मेदार थे, हालांकि पीड़ित और याचिकाकर्ता के परिवार के बीच दिन-प्रतिदिन के जीवन के कारण कुछ मतभेद थे और पीड़ित ने

याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कुछ विडंबनापूर्ण आरोप लगाए थे, लेकिन वे इस प्रकृति के नहीं हैं कि किसी को आत्महत्या जैसा चरम कदम उठाने के लिए उकसाया जाए - इन सभी तथ्यों के साथ-साथ याचिकाकर्ता की हिरासत अवधि और उसके खिलाफ जांच पूरी होने पर विचार करते हुए, इस न्यायालय की राय में याचिकाकर्ता की प्रार्थना के संबंध में एक उदार दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है - जमानत मंजूर की जाती है। (पैरा - 3, 7)

### न्याय दृष्टान्त

उपलब्ध नहीं है

### अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता

### मुख्य शब्दों की सूची

नियमित जमानत - आत्महत्या के लिए उकसाना - सुसाइड नोट - दहेज की माँग - यातना - आपराधिक मनःस्थिति - क्रूरता।

### प्रकरण से उत्पन्न

काजी मोहम्मदपुर थाना, मामला संख्या 282/2022, दिनांक 12.09.2022, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी सहपठित धारा 34 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज किया गया।

**पक्षकारों की ओर से उपस्थिति**

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से: श्री अंसुल, अधिवक्ता

श्री आदित्य पांडे, अधिवक्ता

विपक्षी/पक्षों की ओर से: श्री अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता

श्री यशराज वर्धन, अधिवक्ता

राज्य की ओर से: श्री सैयद एहतेशामुद्दीन, स.लो.अ.

रिपोर्टर जिनके द्वारा हेडनोट बनाया गया: घनश्याम

**माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश**

**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में  
2022 की आपराधिक विविध वाद सं. 72298**

2022 का काजी मुहम्मदपुर थाना कांड सं. - 282, जिला-मुजफ्फरपुर से उद्भूत

=====

दिवाकर मिश्रा, पिता - जगत नारायण मिश्रा, निवासी - पारो पोखर, न्यू शंकरपुरी, थाना - काजी मोहम्मदपुर, जिला-मुजफ्फरपुर

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य

.....विपक्षी(गण)

=====

**उपस्थिति :**

|                       |   |                                                                      |
|-----------------------|---|----------------------------------------------------------------------|
| याचिकाकर्ता/ओं के लिए | : | श्री अंसुल, अधिवक्ता<br>श्री आदित्य पांडे, अधिवक्ता                  |
| विपक्षी दलों के लिए   | : | श्री अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता<br>श्री यशराज बर्धन, अधिवक्ता |
| राज्य के लिए          | : | श्री सैयद एहतेशामुद्दीन, स.लो.अ.                                     |

=====

**कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह**

मौखिक आदेश

- 3    02-05-2023                    1.    याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, सूचक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान स.लो.अ. को सुना।
2.    याचिकाकर्ता ने 2022 के काजी मोहम्मदपुर थाना कांड सं. 282 में नियमित जमानत की याचना की है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी, धारा 34 के साथ पाठ्य, के तहत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज किया गया था।
3.    कथित तौर पर, यह याचिकाकर्ता जो की पीड़िता का पति है तथा उसके परिवार के सदस्यों ने पीड़िता को 20 लाख रुपये की मांग के लिए प्रताड़ित किया और जब

पीड़िता को शिक्षक की सरकारी नौकरी मिली, तो याचिकाकर्ता सहित आरोपी व्यक्तियों ने उसकी सेवा पर आपत्ति जताई, हालांकि उस विवाद को हल कर लिया गया, लेकिन उसके बाद साजिश को आगे बढ़ाते हुए, याचिकाकर्ता सहित सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने सूचक की बहन की 12.09.2022 को हत्या कर दी और उसके बाद पीड़िता की मृत्यु को आत्महत्या का रंग देने के लिए पीड़िता के शव को छत के पंखे से लटका दिया।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत मुख्य बातें यह हैं कि याचिकाकर्ता मृतक का पति है, हालांकि इस मामले में पुलिस ने याचिकाकर्ता के खिलाफ भा.द.वी. की धारा 304 बी के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन जांच के दौरान पुलिस को पीड़िता का सुसाइड नोट मिला और वही कांड दैनिकी में उपलब्ध है और यदि उक्त सुसाइड नोट को ध्यान में रखा जाए तो याचिकाकर्ता के कथित कार्य केवल आई. पी. सी. की धारा 306 के तहत दंडनीय अपराध के दायरे में आ सकते हैं, लेकिन यदि उक्त सुसाइड नोट में वर्णित सभी तथ्यों को ध्यान में रखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़िता और उसके बीच केवल एक दिन का पारिवारिक विवाद हुआ है। कानून और पीड़िता द्वारा अपने सुसाइड नोट में प्रकट किए गए तथ्य ऐसी प्रकृति के नहीं हैं जो पीड़िता को आत्महत्या करने के लिए सीधे उकसाते हैं और इसलिए आईपीसी की धारा 107 के प्रावधानों के अनुसार इस याचिकाकर्ता का कथित कार्य उपशमन के दायरे में नहीं आता है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने 2011 के आपराधिक अपील सं. 611 में एम. मोहन बनाम राज्य (पुलिस उपाधीक्षक के माध्यम से) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया है और अपने तर्क के समर्थन में निर्णय के अनुच्छेद संख्या 46 और 50 को संदर्भित किया, जिन्हें निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:-

*“46. विधायिका का उद्देश्य और इस न्यायालय द्वारा तय किए गए मामलों का अनुपात स्पष्ट है कि भा.द.वी. की धारा 306 के तहत किसी*

व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए अपराध करने के लिए एक स्पष्ट आपराधिक मंशा होनी चाहिए। इसके लिए एक सक्रिय कार्य या प्रत्यक्ष कार्य की भी आवश्यकता होती है जिसके कारण मृतक को कोई विकल्प न देखकर आत्महत्या करनी पड़ी और इस कार्य का उद्देश्य मृतक को ऐसी स्थिति में धकेलना रहा होगा कि उसने आत्महत्या कर ली।

50. निस्संदेह, मृतक की मृत्यु फांसी के कारण हुई थी। मृतक निस्संदेह हमारे दिन-प्रतिदिन के जीवन में होने वाले सामान्य कलह, झगडा और मतभेदों के प्रति अतिसंवेदनशील था। एक संयुक्त परिवार में, इस तरह के उदाहरण बहुत असामान्य नहीं हैं। प्रत्येक व्यक्ति की मानवीय संवेदनशीलता अलग-अलग होती है। प्रत्येक व्यक्ति का आत्म-सम्मान और आत्म-गौरव का अपना विचार होता है। अलग-अलग लोग एक ही स्थिति में अलग-अलग व्यवहार करते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि परिवार में आत्महत्या की ऐसी घटना हुई थी। लेकिन इस सवाल का जवाब मिलना बाकी है कि क्या अपीलकर्ताओं को किसी भी तरह से उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से जोडा जा सकता है?

आगे निवेदन यह है कि याचिकाकर्ता के पास निष्पक्ष और स्वच्छ आचरण का इतिहास रहा है और वह 13.09.2022 से जेल में बंद है।

5. सूचक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया और कहा कि आरोप पत्र दायर होने के बाद संबंधित अदालत ने भा.द.वी. की धारा 304 बी के तहत संज्ञान लिया और पुलिस उपाधीक्षक ने भी यह निष्कर्ष निकाला कि पीड़िता को याचिकाकर्ता सहित आरोपी व्यक्तियों द्वारा पैसे की मांग के लिए परेशान किया गया था और याचिकाकर्ता की विवाहित बहन भी मृतक के ससुराल में रहती थी और वह मृतक के साथ क्रूरता करने में भी लगी रहती थी और पीड़िता को सरकारी नौकरी भी मिली जो याचिकाकर्ता सहित आरोपी व्यक्तियों द्वारा उसे परेशान करने के कारणों में से एक था।

6. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने भी जमानत याचिका का विरोध किया।

7. दोनों पक्षों को सुना और इस मामले की प्राथमिकी और कांड दैनिकी का अवलोकन किया। कांड दैनिकी में, पीड़िता का सुसाइड नोट उपलब्ध है जिसके बारे में कोई विवाद नहीं है और यह पीड़िता के अपने लिखावट में प्रतीत होता है और बहस के दौरान सूचक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने इस पर विवाद नहीं किया है। मैंने उक्त सुसाइड नोट को पढ़ा है और ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि याचिकाकर्ता जैसा कि सुसाइड नोट में आरोप लगाया गया है कि पीड़िता को आत्महत्या करने के लिए उकसाने या उकसाने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार थे, हालांकि पीड़िता और याचिकाकर्ता के परिवार के बीच दिन-प्रतिदिन के जीवन के कारण कुछ मतभेद थे और पीड़िता ने याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कुछ विडंबनापूर्ण आरोप लगाए थे, लेकिन वे आत्महत्या का ऐसा चरम कदम उठाने के लिए उकसाने की प्रकृति के नहीं हैं। इन सभी तथ्यों के साथ-साथ याचिकाकर्ता की अभिरक्षा अवधि और उसके खिलाफ जांच के पूरा होने पर विचार करते हुए, इस अदालत की राय में याचिकाकर्ता की प्रार्थना के संबंध में एक उदार दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है, याचिकाकर्ता को 2022 के काजी मोहम्मदपुर थाना कांड सं. 282 में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप रु.10000/- (दस हजार) राशि के जमानत मुचलके के साथ दो सामान प्रतिभूतियों पर जमानत पर मुक्त किया जाए।

(शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति)

संगम/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।